संख्या-23/2023/001-ई 2453376 60 3 2023 सी 1410906

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वृन्दावन मथुरा में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के मरम्मत हेतु प्रावधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-520/निदे0म0क0/अनुदान/कृष्ण कुटीर/2023-24, दिनांक 21.06.2023 के क्रम में वृन्दावन, जनपद मथुरा स्थित निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 बेड क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के सदन का संचालन (के.100/रा.00-के0+रा0)-2020-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-348.25 लाख से वृन्दावन जनपद-मथुरा में संचालित कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के उपकरणों/पैनल्स के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि रू0-1,58,25,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों/उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा संस्था से राज्य के प्रशासकीय व वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,58,25,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030105 वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 क्षमता के सदन का संचालन (के.100/रा.0-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-ई-4-83-एक्स-2023-24, दिनांक 21.08.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23(1)/2023/001-ई 2453376 60 3 2023 सी 1410906 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा।
6- वित्त एवं लेखा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।